



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
Email : rorpcb.kishangarh@gmail.com



RPCB/RO KSG/PUB-347/ 2811

Date: 05.09.2023

Shri Sahil Soni,
R/o Arogaya Marg, Street of ICICI Bank,
Ajmer Road, Ward No. 18,
Kishangarh, District Ajmer.

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Granite cluster mining project, Total Cluster Area 14.696 Hectare, Total cluster production capacity 2078155 TPA (ROM), Village Kachariya Tehsil Kishangarh, District Ajmer applied by M/s Shri Sahil Soni & Shri Deepak Soni, M.L. No. 23/2020.

Ref.:- Office of District Collector & District Magistrate, Ajmer letter no. 14310 dated 01/09/2023.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 09/09/2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Silora, Tehsil Kishangarh, District Ajmer at 02:00 PM on 09/10/2023** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

(Deepak Tanwar)
Environmental Engineer
&Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
2. The Additional District Collector & District Magistrate (I), Collectorate Office, Ajmer in compliance to letter no. 14310 dated 01/09/2023.
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-347/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री साहिल सोनी पुत्र श्री सुनिल कुमार सोनी सह खातेदार श्री दीपक सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी, खनन पट्टा संख्या 23/2020 ग्राम काचरिया द्वारा ग्रेनाइट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री साहिल सोनी पुत्र श्री सुनिल कुमार सोनी सह खातेदार श्री दीपक सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी, खसरा संख्या 322/41	23/2020	1.3683	काचरिया	ग्रेनाइट	195048
2	श्री श्योजी राम जाट	24/2020	1.9697	काचरिया	ग्रेनाइट	213864
3	श्री अखिल सारदा	27/2019	1.3359	काचरिया	ग्रेनाइट	103936
4	श्री योगेश कुमार अग्रवाल	59/2018	1.0004	काचरिया	ग्रेनाइट	215728
5	श्री श्योजी राम जाट	25/2020	1.3467	काचरिया	ग्रेनाइट	139999
6	श्री मयंक बाघमार	25/2019	1.1220	काचरिया	ग्रेनाइट	-
7	श्रीमती इन्द्रा देवी महनोत	02/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाइट	117236
8	श्री दीना राम डूडी	56/2018	1.5215	काचरिया	ग्रेनाइट	236342
9	श्री भूरा राम	51/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाइट	250000
10	श्री तुलसा राम	54/2018	1.0	काचरिया	ग्रेनाइट	206002
11	श्री दीना राम डूडी	55/2018	1.0201	काचरिया	ग्रेनाइट	200000
12	श्री दीना राम डूडी	53/2018	1.0114	काचरिया	ग्रेनाइट	200000


कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.696 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-2078155 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री साहिल सोनी पुत्र श्री सुनिल कुमार सोनी सह खातेदार श्री दीपक सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी, खनन पट्टा संख्या 23/2020 ग्राम काचरिया ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2023/14310 दिनांक 01.09.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 09/10/2023 को दोपहर 02:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।


(दीपक तैवरे)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी